

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
संशोधित विज्ञप्ति
(जनजाति छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन करने की संशोधित दिनांक)


क्रमांक - एफ 3(ए)()शिक्षा/सीटीएडी/18-19/33768-82)

दिनांक 14/09/18

शैक्षणिक सत्र 2018-19 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान की जनजाति छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2018-19) लिंक पर आवेदन का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 15.09.2018 से 05.10.2018 तक पोर्टल पुनः खोला जा रहा है।

- 1 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता राशि
- 2 छात्रगृह किराया योजना - (केवल अनुसूचित क्षेत्र के छात्र/छात्राओं हेतु)
- 3.बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
- 4.जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
- 5.जनजाति छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

प्रोत्साहन योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के लिए विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने की उक्त दिनांक के पश्चात् आवेदन करने की समयावृद्धि में अभिवृद्धि नहीं की जायेगी।


अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक:-एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/18-19/33768-82)

दिनांक 14/09/18


प्रतिलिपि - सूचनार्थ ।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा)।
3. निदेशक, टीआरआई, उदयपुर।
4. परि. अधि., टीएडी, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड।
5. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/पाली/कोटा/अजमेर।
6. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पुरे राजस्थान में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।

www.rajteachers.com


अतिरिक्त आयुक्त